भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
विद्यापीठ मार्ग, पुणे - 411 016

भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, विद्यापीठ मार्ग, पुणे - 411 016 में पुराने पुरालेखीय अभिलेखों (कागज़ी रूप में) के डिजिटलीकरण हेतु मुहरबंद निविदाओं का आमंत्रण।

एजेंसी का नाम :

पता :

लैंडलाइन तथा मोबाइल नंबर :

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख : नवंबर 15, 2019

विषय-वस्तु की सारिणी

पैरा सं. Para No.	विषय / Subject	पृष्ठ सं. / Page Number(s)
---	अस्वीकरण	3
---	महत्वपूर्ण तारीखें	4
---	आवेदन पत्र का फॉर्म	6
1	प्रस्तावना	7
2	पूर्व-अर्हता मानदंड	8
3	कार्य का दायरा	10
4	बोलीकर्ता हेतु आवश्यक अनुदेश	13
5	भुगतान की शर्तें	20
6	बोली प्रस्तुत करना एवं इनका चयन	21
7	अनुबंध	29-37
---	तकनीकी बोली प्रस्तुत करने के लिए प्रोफॉर्मा (अनुबंध – I)	29-30
---	बोलीकर्ता का कार्य अनुभव (अनुबंध – II)	31
---	ई-भुगतान करने के लिए बैंक खाते के ब्योरे (अनुबंध – III)	32
---	प्रदर्शन बैंक गारंटी की ड्राफ्ट प्रोफॉर्मा (अनुबंध – IV)	33-35
---	भाग – II, वाणिज्यिक बोली	36-37
---	बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच सूची	38

अस्वीकरण

यह निविदा दस्तावेज भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, विद्यापीठ मार्ग, पुणे ने तैयार किया है । यह सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, विद्यापीठ मार्ग (सीएबी), पुणे में पुरालेखीय अभिलेखों के डिजिटलीकरण हेतु बोली लगाने वाले संभावित बोलीकर्ताओं के लिए है ताकि वे इस निविदा दस्तावेज में उल्लिखित अनुबंध एवं शर्तों तथा इस सूचना से संबंधित अन्य अनुबंध एवं शर्तों के अनुसार बोली लगा सकें।

यह निविदा न तो किसी पक्ष के साथ कोई करार है और न ही किसी तरह के कार्य को निष्पादित करने के लिए किसी पक्ष को कोई आमंत्रण है। इस निविदा का उद्देश्य सभी इच्छुक पक्षों के साथ बैंक की अपेक्षाएं साझा करना है ताकि वे अपनी बोली लगा सकें। **हालांकि बैंक ने यहां उल्लिखित सूचना को तैयार करने में पूरी सावधानी बरती है पर बैंक यह दावा नहीं करता है कि यह सूचना अपने आप में संपूर्ण है। इस निविदा का उत्तर देने वालों से अपनी स्वयं की जांचपड़ताल करनी अपेक्षित है एवं वे केवल इस निविदा में दी गई सूचना पर निर्भर न रहें। - यदि उत्तरदेने वाले ने समुचित सावधानी नहीं बरती हो तो इसके लिए बैंक उत्तरदाई नहीं होगा।** बैंक यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह इस निविदा के कार्य को आगे न बढ़ाना , इस दस्तावेज में उल्लिखित समय सारणी को बदल दे या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या संसाधन को परिवर्तित कर दे। वह यह अधिकार भी सुरक्षित रखता है कि किसी भी उत्तरदाता से निविदा के बारे में विचारविमर्श करने से इन्कार कर दे। बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों - या संस्थाओं को किसी भी तरह की एवं किसी भी आधार पर लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी | हिंदी तथा अंग्रेजी में जारी की गई निविदाओं की व्याख्या में यदि कोई विसंगति / भिन्नता हो तो अंग्रेजी में जारी निविदा मान्य होगी।

महत्वपूर्ण तारीखें

क्रम सं.	विवरण	तारीख	समय
1.	निविदा दस्तावेज जारी करने की तारीख	16 अक्तूबर 2019	
2.	भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर निविदा दस्तावेज को अपलोड करने की तारीख (https://www.rbi.org.in/)	16 अक्तूबर 2019	
3.	बोलीपूर्व बैठक	01 नवंबर 2019	11.00 बजे
4.	निविदा दस्तावेज को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	15 नवंबर 2019	14.00 बजे
5.	निविदा के भाग - I को खोलने की तारीख (तकनीकी बोली)।	15 नवंबर 2019	15.00 बजे
6.	भाग - II खोलने की तारीख (वाणिज्यिक बोली)।	बोली के भाग - I के मूल्यांकन के पश्चात पात्र बोलीकर्ताओं को सूचित किया जाएगा।	
7.	निविदा की वैधता	i) सभी बोलीकर्ताओं के लिए 90 दिन (बोली के भाग-I के खुलने की तारीख से)। ii) सफल बोलीकर्ता के लिए करार और उद्धृत दरों की वैधता संविदा दिए जाने की तारीख से एक वर्ष तक होनी चाहिए।	
8.	डिजिटल किए जानेवाले पृष्ठों की संख्या	डिजिटल किए जानेवाले पृष्ठों की संख्या 5 लाख है, जिन्हें कार्य आरंभ होने की तारीख से जून 30, 2020 के भीतर डिजिटल करना है।	

पूछताछ के लिए इनसे संपर्क किया जाए :-

श्री रवि किरण पाला
पुरालेखपाल (डिजिटलीकरण प्रोजेक्ट हेतु नोडल अधिकारी)
भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
विद्यापीठ मार्ग
पुणे - 411 016
फोन : (020) 25582351
मोबाइल : 7755955540
ई-मेल : rbiarchives@rbi.org.in

आवेदन पत्र का फॉर्म

प्रधानाचार्य
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
विद्यापीठ मार्ग
पुणे - 411 016

महोदया/ महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, विद्यापीठ मार्ग, पुणे - 411 016 में पुराने पुरालेखीय अभिलेखों (कागजी रूप में) के डिजिटलीकरण हेतु निविदा

कार्य से संबंधित मात्राओं की आवश्यकताओं, परिस्थिति और मात्रा संबंधी अनुसूची की जांच करने और अनुबंध को प्रभावित करने के रूप में संबंधित जानकारी हासिल करने के बाद, मैं / हम आपके द्वारा पुराने अभिलेखीय अभिलेखों के डिजिटलीकरण के काम को **भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, विद्यापीठ मार्ग, पुणे - 411 016**, वाणिज्यिक बोली (भाग - II) में उल्लिखित दरों पर और निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों के अनुसार लेने की पेशकश करते हैं |

2. अगर यह अनुबंध स्वीकार किया जाता है, मैं / हम इसके द्वारा निविदा की नियम और शर्तों को पूरा करने के लिए सहमत हैं और बैंक द्वारा स्वीकृत दर के अनुसार काम करेंगे। मैं समझता हूं कि डिजिटाइज़ किए जाने वाले पृष्ठों की संख्या बैंक के विवेक पर बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर तथा मुहर
लैंडलाइन / मोबाइल नं. :

तारीख ----------

स्थान ----------.

भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, विद्यापीठ मार्ग, पुणे - 411 016 में पुराने पुरालेखीय अभिलेखों (कागज़ी रूप में) के डिजिटलीकरण हेतु मुहरबंद निविदाओं का आमंत्रण।

भाग – I तकनीकी बोली

1. प्रस्तावना

i) अभिलेखीय दस्तावेजों के डिजिटलीकरण कार्य के लिए **भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, विद्यापीठ मार्ग, पुणे - 411 016** (इसके बाद बैंक के रूप में संदर्भित), इच्छुक बोलीकर्ताओ से दो प्रस्तावों में सीलबंद निविदा आमंत्रित करती है | डिजिटलीकरण कार्य के लिए अनुमानित पृष्ठों की संख्या 5 लाख पृष्ट है जिसे कार्य शुरू करने की तिथि से **30 जून 2020** तक पूरा किया जाना है, जिसे पहले से तय नियम एवं शर्तो पर बैंक की संतुष्टि पर तीन महीने के लिए बढाया जा सकता है | डिजिटलीकरण कार्य के लिए पेजों की संख्या बैंक के विवेक पर बढाया और घटाया जा सकता हैं |

ii) काम की अनुमानित लागत लगभग 8 लाख रुपए है जो सफल बोलीकर्ता के साथ किए गए करार के अनुसार वास्तविक लागत के आधार पर बढ़ या घट सकती है।

iii) अपनी निविदा प्रस्तुत करने में रुचि रखने वाले बोलीकर्ताओं को एक सुस्थापित पंजीकृत इकाई होना चाहिए। उनके पास पुराने अभिलेखीय दस्तावेजों के डिजिटलीकरण में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

iv) ये दस्तावेज इस निविदा दस्तावेज़ में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, विद्यापीठ मार्ग, पुणे – 411016 के परिसर में स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार (आरबीआइए) में डिजिटाइज़ करने होंगे।

v) सीलबंद निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2019 को 14.00 बजे तक है। निविदाओं को सील किए गए दो अलग-अलग लिफाफों को तीसरे लिफाफे डालकर ठीक से सील किया जाना चाहिए और इसके ऊपर "भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार में पुरालेखीय अभिलेखों (कागज़ी रूप में) का डिजिटलीकरण हेतु निविदा" लिखा जाए और यह लिफाफा डाक या कूरियर द्वारा भेजा जाना चाहिए या भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार, भारतीय रिजर्व बैंक, पुणे के परिसर में स्थित निविदा ड्रॉप बॉक्स में डाला जा सकता है।

vi) निविदा के लिफाफे के ऊपर **"पुरालेखीय अभिलेखों के डिजिटलीकरण हेतु निविदा - <u>तकनीकी बोली</u> (भाग - I)"** तथा **"पुरालेखीय अभिलेखों के डिजिटलीकरण हेतु निविदा - वाणिज्यिक बोली (भाग - II)"** लिखा जाए।

vii) पूरी तरह से भरी गई निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि और समय से पहले निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत की जाएंगी :

प्रधानाचार्य, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, विद्यापीठ मार्ग, पुणे - 411 016.

viii) अंतिम तिथि और समय के बाद प्रस्तुत निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

ix) तकनीकी बोली **(भाग- I) कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे में 15 नवंबर 2019** को **15.00** बजे बोलीकर्ताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों, जो उपस्थित होना चाहें, की उपस्थिति में खोली जाएंगी।

x) तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के बाद वाणिज्यिक बोलियाँ खोली जाएंगी। वाणिज्यिक बोली के खुलने की तिथि और समय बाद में योग्य बोलीकर्ताओं को सूचित किया जाएगा।

xi) बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं या उनके किसी भाग को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। ये निविदा दस्तावेज बैंक की वेबसाइट https://www.rbi.org.in के निविदा खंड से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।

2. पूर्व-अर्हता मानदंड

क्र.सं.	**मानदंड**	**सभी बोलीकर्ताओं द्वारा जमा किए जाने के लिए आवश्यक समर्थित दस्तावेज**
1.	एकल संस्था या साझीदारी फर्म अनुमत हैं जिसमें से प्रत्येक संस्था भारत में या वैश्विक स्तर पर संबंधित अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए (अर्थात कंपनी अधिनियम, साझीदारी अधिनियम या अन्य कोई संबंधित अधिनियम)।	पंजीकरण या इसके समतुल्य की प्रति और सभी सदस्यों एवं प्रमुख बोलीकर्ता के मध्य हस्ताक्षरित विधिवत पंजीकृत समझौता ज्ञापन तथा इसमें प्रमुख बोलीकर्ता की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों का स्पष्ट उल्लेख हो।
2.	बोलीकर्ता के पास पुरालेखीय दस्तावेजों या समतुल्य के डिजिटलीकरण का कार्य करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।	कार्य आदेश और पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बोलीकर्ता द्वारा किए गए डिजिटलीकरण कार्य का विवरण।
3.	सफल बोलीकर्ता का पिछले तीन वित्त वर्ष अर्थात 2016–17, 2017–18 एवं 2018-19 औसत टर्नओवर रु. 40 लाख या इससे अधिक होना चाहिए।	1. 2016–17, 2017–18 एवं 2018-19 के वार्षिक टर्नओवर को प्रमाणित करनेवाला सनदी लेखाकार (सीए) का प्रमाणपत्र। 2. फर्म / एजेंसी की लाभ-हानि लेखे की प्रमाणित प्रति।
4.	i) बोलीकर्ता को किसी भी प्रतिष्ठित सरकारी या निजी अभिलेखागार में या सरकारी कार्यालयों या उपक्रमों या स्वायत्त संगठनों	1. बोलीकर्ता को ग्राहक के लेटरहेड पर अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। कृपया अनुबंध-II देखें।

	में दस्तावेजों और प्रकाशनों को स्कैन और डिजिटलीकरण करने का कम से कम पांच साल का अनुभव होना चाहिए। ii) बोलीकर्ता को वर्ष 2014 से 2019 तक दस्तावेजों के कम से कम 30 लाख पृष्ठों को डिजिटल किया होना चाहिए। वेंडर को ग्राहक संगठन द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी जमा करनी होगी। विक्रेताओं को इस निविदा दस्तावेज़ के अनुबंध-II में दिए गए कार्य के अनुभव का विवरण भी भरना होगा	2. वेंडर को ग्राहक संगठन द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी जमा करनी चाहिए। विक्रेताओं को इस निविदा दस्तावेज़ के अनुबंध-II में दिए गए कार्य अनुभव का विवरण भी भरना चाहिए।अनुभव प्रमाण पत्र में पूरे किए गए स्कैनिंग और डिजिटलीकरण कार्य की अवधि, प्रकृति और मात्रा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। **नोट :** ग्राहक संस्थान से उपरोक्त जानकारी न देने वाले और कम से कम 5 डिजिटलीकरण परियोजनाएं जिसमें कम से कम 30 लाख पृष्ठों के दस्तावेजों को कवर किया हो, को पूरा करने के समर्थन में साक्ष्य प्रमाण न देनेवाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
5.	डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए भारिबैं अभिलेखागार में DSLR कैमरा स्कैनर स्वीकार नहीं करेंगे। बोलीकर्ता को भारिबैं अभिलेखागार में रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण के लिए Charged Coupled Device (CCD) or Contact Image Sensor (CIS) or complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) sensor scanner or Photomultiplier Tube (PMT) सेंसर स्कैनर या समकक्ष स्कैनिंग तकनीक का उपयोग करना चाहिए ।	बोलीकर्ता को टेंडर दस्तावेज के साथ CCD / CIS / CMOS / PMT या समकक्ष स्कैनिंग उपकरण होने का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
6.	बोली प्रस्तुत करने की तारीख को बोलीकर्ता को किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या भारत में या अन्यत्र कहीं किसी भी संगठन ने इसे काली सूची में न ड़ाला हो।	प्रमुख बोलकर्ता को अपने पत्रशीर्ष पर इस आशय की स्व-घोषणा देनी होगी जिस पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाएं।
7.	बोलीकर्ता के पास न्यूनतम 20 कार्मिक / स्टाफ, जो की उसके वेतन निधि (पे रोल) पर हों और उनके पास डिजिटलीकरण कार्य का अनुभव हो ।	डिजिटलीकरण कार्य में लगे 20 कर्मचारियों की फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने होंगे ।

8.	सफल बोलीकर्ता को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) तथा सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य आवश्यकताओं के लिए पंजीकृत होना चाहिए।	वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित नंबर (GST) के दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे |

3. कार्य का दायरा

3.1. स्कैनिंग के पहले और बाद के कार्य

i) बोलीकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इन दस्तावेजों को अत्यधिक सावधानी से रखे-उठाए (हैंडल) करे तथा हमेशा इनकी देखभाल एवं सुरक्षा करे।

ii) भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार (आरबीआईए) के निर्दिष्ट रजिस्टर में प्रविष्टि करने के पश्चात बोलीकर्ता का जिम्मेदार स्टाफ इन दस्तावेजों को भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार के नामित अधिकारी से लेगा।

iii) सफल बोलीकर्ता या उनके कर्मचारियों द्वारा दस्तावेज को किसी भी नुकसान या क्षति के लिए अधिकतम दंड राशि निर्धारित की गयी है, जिसमें एक बार के लिए रु. 1,000/- अधिकतम रु. 10,000/- प्रति पृष्ठ के हिसाब से दंड लिया जाएगा |

iv) विक्रेता स्कैनिंग के लिए दस्तावेजों को तैयार करने में विशेष ध्यान रखेगा जो बहुत पुराने हैं और जो अच्छी भौतिक स्थिति में नहीं हैं या बहुत नाजुक हो सकते हैं। इसमें फटे हुए पन्नों को चिपकाना, धूल, पिन, क्लिप, टैग, फ्लैग आदि हटाना, पेजों को सीधा करना, उन फाइलों को खोलना जिन्हें सीधे स्कैन नहीं किया जा सकता हैं, कार्य शामिल हो सकते (लेकिन यह इतने तक ही सीमित नहीं हैं) हैं। कुछ पुराने दस्तावेजों में फ्लैट-बेड स्कैनर की भी आवश्यकता हो सकती है। स्कैनिंग कार्य के बाद वेंडर द्वारा उन दस्तावेजों को फिर से मूल क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा।

v) बोलीकर्ता को सभी दस्तावेजों / फाइलों पर "रनिंग नंबरिंग स्टाम्प" द्वारा पृष्ठ संख्या देनी होगी जिसके लिए बोलीकर्ता द्वारा प्रशिक्षित स्टाफ को इस कार्य पर लगाया जाएगा और उसकी लागत बोलीकर्ता द्वारा उद्धृत प्रति पृष्ठ लागत में जोड़ी जाएगी।

vi) यह स्कैनिंग जहां तक संभव हो ओवरहैड स्कैनर पर ही की जाए एवं मूल दस्तावेज को नुकसान पहुंचने के जोखिम के चलते "ऑटोमैटिक फीडर ऑन स्कैनर" के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

vii) इमेज की क्रोपिंग एवं क्लीनिंग करने (टेक्स्ट के आसपास काले धब्बे हटाने), इमेज को सीधा करने के लिए इसके कतरने संबंधी संशोधन (स्क्यू करेक्शन) एवं टेक्स्ट के चारों तरफ समान हाशिए उपलब्ध कराने में बोलीकर्ता सक्षम होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर कुछ छोटे दस्तावेजों को स्कैनिंग के दौरान बड़ा (स्केल अप) करना पड़ सकता है।

viii) दस्तावेजों की स्कैन की हुई मास्टर फाइलों को अनकम्प्रेस्ड टिफ इमेज फॉर्मेट फाइल (टिफ) के रूप में सहेजा जाना चाहिए।

ix) टिफ (TIFF) फाइलों के अलावा सफल बोलीकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार द्वारा वांछित बहु पृष्ठीय PDFA / ए (अभिलेखीय गुणवत्ता छवि का नवीनतम संस्करण) और उच्च गुणवत्ता पीडीएफ (acess quality PDF) प्रदान करेगा।

x) बोलीकर्ता को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इमेज क्वालिटी निविदा में दिए गए विनिर्देश के अनुसार होनी चाहिए तथा भविष्य में इन्हें डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट किया जा सके एवं रिट्रीवल सिस्टम में भी डाला जा सके।

xi) बोलीकर्ता भारिबैं अभिलेखागार को 4TB पोर्टेबल बैक अप क्वालिटी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क (एक सेट) में सभी तीन प्रकार के डिजिटाइज्ड इमेज प्रदान करेगा । बोलीकर्ता की लागत से ऊपर बताई गई हार्ड डिस्क के एक सेट में डिजिटाइज्ड डेटा की आपूर्ति करने के अलावा, बिडर भारिबैं अभिलेखागार द्वारा प्रदान की जाने वाली दो अतिरिक्त हार्ड डिस्क में पूरे डिजिटाइज्ड डेटा को अंतरित करेगा । दो अतिरिक्त हार्ड डिस्क (भारिबैं अभिलेखागार द्वारा प्रदान की जाने वाली) में हार्ड डिस्क और डेटा माइग्रेशन के एक सेट की लागत को डिजिटलीकरण की प्रति पृष्ठ लागत के साथ शामिल किया जाना चाहिए। बिडर को पावर केबल के बिना बैकअप गुणवत्ता पोर्टेबल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क प्रदान करनी चाहिए जो USB पोर्ट पर चलती है । काम की पूरी मात्रा के लिए सभी 3 प्रकार की इमेजों के लिए डिजिटाइज्ड डेटा का आकार, हार्ड डिस्क के लिए डेटा माइग्रेशन के लिए आवश्यक समय और श्रम, बैक-अप गुणवत्ता वाली एक सेट पोर्टेबल बाहरी हार्ड डिस्क की लागत बोलीकर्ताओं द्वारा फैक्टर की जा सकती है। जिसे डिजिटलीकरण की प्रति पृष्ठ लागत के साथ शामिल किया जाना चाहिए। पोर्टेबल बाहरी हार्ड डिस्क के एक सेट प्रदान करने के लिए कोई अलग भुगतान नहीं किया जाएगा।

xii) सफल बोलीकर्ता को अपने दम पर खराब गुणवत्ता वाली स्कैन की गई इमेजों / दस्तावेजों को ठीक करेगा / बदलेगा, जिसके लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

xiii) यह सुनिश्चित करने की पूर्ण जिम्मेदारी विक्रेता की है कि डिजिटाइज़ किए गए दस्तावेजों की विषयवस्तु मूल कागज़ी दस्तावेज़ की एक सटीक प्रतिकृति होगी। भारिबैं अभिलेखागार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रारूप के अनुसार पोर्टेबल बाहरी हार्ड डिस्क में दिया गया डेटा, डिजीटल डेटा की सारांश सूची के साथ सटीक होना चाहिए।

3.2 डिजिटलीकरण कार्य हेतु तकनीकी आवश्यकताएं

3.2.1 तकनीकी विनिर्देश

सफल बोलीकर्ता को अपने स्वयं के उपकरणों एवं कार्मिकों से इन दस्तावेजों को स्कैन एवं डिजिटलीकरण करना होगा, इन दस्तावेजों की आर्काइवल क्वालिटी इमेज अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। इमेज क्वालिटी एवं आउटपुट अग्रलिखित विनिर्देशों के अनुरूप, पर इन तक सीमित नहीं, होना चाहिए :-

i. सभी दस्तावेज केवल रंगीन रूप में स्कैन किए जाएं।
ii. दस्तावेज के स्वरूप के आधार पर न्यूनतम 300 डीपीआई एवं 600 डीपीआई तक होना चाहिए।
iii. बिट की गहराई 8/16/24 बिट होनी चाहिए।
iv. अगर दस्तावेज बहुत धुंधले या बहुत गहरे हों तो वहां दस्तावेज (दस्तावेजों) को स्पष्ट करने के लिए बिट की गहराई को बढ़ाकर 24 बिट कर देना चाहिए।
v. टिफ (TIFF) (एकल पृष्ठ)।
vi. खोज योग्य पीडीएफ/ ए या आर्काइवल क्वालिटी का अद्यतन वर्शन (बहु पृष्ठ)।
vii. बोलीकर्ता खोज योग्य पीडीएफ अथवा नवीनतम अभिलेखीय गुणवत्तापूर्ण (बहु पृष्ठीय) उपलब्ध कराएगा जिससे फुल टेक्स्ट सर्च (फुल टेक्स्ट सर्च) के साथ साथ टिफ (TIFF) और उच्च स्तरीय पीडीएफ (Access Quality PDF) को खोजा जा सके |

3.2.2 स्कैनर विनिर्दिष्टियां

i) भारिबैं अभिलेखागार इस डिजिटलीकरण परियोजना के लिए DSLR कैमरा स्कैनर को स्वीकार नहीं करेगा।

ii) बोलीकर्ता को RBI अभिलेखागार में रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए Charged Coupled Device (CCD) or Contact Image Sensor (CIS) or Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) sensor scanner or Photomultiplier Tube (PMT) सेंसर स्कैनर या समकक्ष स्कैनिंग तकनीक का उपयोग करना चाहिए। इसलिए, बोलीकर्ता के पास उपरोक्त स्कैनिंग उपकरण में से कोई भी होना चाहिए।

iii) बोलीकर्ता को टेंडर दस्तावेज के साथ CCD / CIS / CMOS / PMT या समकक्ष स्कैनर होने का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

iv) दस्तावेज़ फीडर स्कैनर के उपयोग की अनुमति नहीं है।

4. बोलीकर्ता हेतु आवश्यक अनुदेश

4.1 कार्य आरंभ करना

i) सफल बोलीकर्ता को कार्य आदेश जारी होने के दिन से 3 सप्ताह के अंदर कार्य आरंभ करना होगा।

ii) सफल बोलीकर्ता को अपने व्यय पर डिजिटलीकरण करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार परिसर में उपलब्ध कराए गए स्थान में अपने उपकरण एवं पेरीफेरल जैसे कि हार्डवेयर, साफ्टवेयर, कंप्यूटर, स्कैनर, यूपीएस, नेटवर्क सेट-अप के साथ डिजिटलीकरण का सेट अप स्थापित करना होगा।

iii) बोलीकर्ता को भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार परिसर में लाए जाने वाले उपकरणों की सूची भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार को उपलब्ध करानी होगी। प्रोजेक्ट के पूरा होने पर बोलीकर्ता को भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार से पूर्व अनुमति लेकर इन उपकरणों को अपने व्यय पर वापिस ले जाना होगा।

iv) बोलीकर्ता को अपने उपकरणों की स्वयं देखभाल करनी होगी तथा प्रोजेक्ट हेतु बोलीकर्ता द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले किसी भी उपकरण को होने वाली हानि के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

v) बोलीकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया स्टाफ ज्ञानवान एवं अनुभवी होना चाहिए ताकि वह डिजिटलीकरण की प्रक्रिया का मूल्यांकन भी कर सके।

vi) बोलीकर्ता द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार में डिजिटाइजेशन कार्य के लिए लगाया गया स्टाफ बार-बार नहीं बदला जाना चाहिए।

vii) चयनित बोलीकर्ता द्वारा कार्य आरंभ करने से पूर्व भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार स्कैनिंग एवं डिजिटलीकरण के कार्य के लिए उपलब्ध कराए गए उपस्करों के निष्पादन की जांच की जाएगी। यह जांच रिसॉल्यूशन निष्पादन, लाइटिंग तथा इमेज यूनिफॉर्मिटी हेतु की जाएगी।

viii) यदि नमूना जांच का परिणाम अच्छा नहीं रहा तो यह चयनित बोलीकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह उपस्कर को तुरंत बदले एवं इसकी जांच फिर उपर्युक्त तरीके से की जाएगी। प्रोजेक्ट के निष्पादन के दौरान कभी भी यदि आउटपुट की गुणवत्ता में गिरावट आती है तो चयनित बोलीकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह उपर्युक्त उल्लिखित भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार की अपेक्षानुसार उपस्कर को तुरंत बदले।

ix) बोलीकर्ता इमेज कैप्चरिंग, इंडेक्सिंग, स्टोरेज और रिटर्न सहित स्कैन की गई फ़ाइल के प्रसंस्करण और प्रसंस्करणोपरांत (पोस्ट-प्रोसेसिंग) वाले सभी पहलुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं का पालन करेगा। बोलीकर्ता का कर्मचारी यह सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण करेगा कि प्रत्येक पृष्ठ पूरी तरह से आया (कैप्चर) है और ठीक तरह से सीध में है तथा विकृतियों (डिस्टार्शन) से मुक्त है। निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण डेटा हमेशा प्रत्येक वॉल्यूम के साथ कार्यपत्रक पर दर्ज किया जाएगा। जब आवश्यक हो (जैसे, किसी चित्रण की खराब छवि आना), कर्मचारी मूल रिकॉर्ड को फिर से स्कैन करेंगे और छवि (चित्रों) को उचित छवि फ़ाइल में अनुक्रम में डालेंगे।

x) बोलीकर्ता यह सुनिश्चित करने के बाद कि बैंक की फाइलों के सभी पृष्ठ सही-सलामत बरकरार हैं, फाइलें वापस कर देंगे।

4.2 संविदा की अवधि

सफल बोलीकर्ता के साथ अनुबंध कार्य शुरू करने से लेकर 30, जून 2020 तक वैध रहेगा | बैंक द्वारा संतुष्टि के उपरांत एवं उसी नियम एवं शर्तो पर अनुबंध को तीन महीने के लिए बढ़ाया या विस्तारित किया जा सकता है |

4.3 अप्रकटीकरण

संबंधित संविदागत बाध्यताओं का निष्पादन करते हुए सफल बोलीकर्ता के अधिकार में या उसके संज्ञान में आने वाले बैंक के समस्त बुनियादी ढ़ांचेउपकरण आदि की सूचना/सिस्टम/, सामग्री एवं ब्योरों को फर्म प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तृतीय पक्ष को प्रकट नहीं करेगी तथा ऐसी सूचना को हमेशा पूर्णतगोपनीय रखा जाएगा। फर्म संविदा के ब्योरों को निजी एवं गोपनीय रखेगी : सिवाय उस स्तर तक जितना कि संबंधित कानूनों के तहत अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए तउसे आवश्यक हो। फर्म इस कार्य से संबंधित विवरण बैंक की लिखिअनुमति के बिना किसी ट्रेड या तकनीकी पर्चे या अन्यत्र प्रकाशित नहीं करेगी, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगी या प्रकट नहीं करेगी। किसी गोपनीय सूचना के प्रकटीकरण से यदि बैंक को होने वाली किसी भी हानि के प्रति सफल बोलीकर्ता बैंक को रक्षित रखेगा। सफल बोलीकर्ता द्वारा उपर्युक्त का पालन न करने पर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा तथा बैंक क्षतिपूर्ति का दावा करने एवं वैधानिक उपायों का सहारा ले सकता है। अपने कर्मचारियों के संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए सफल बोलीकर्ता सभी समुचित कार्रवाईयां करेगा कि करार के तहत सूचना के अप्रकटीकरण से संबंधित सभी बाध्यताएं पूरी हों। अप्रकटीकरण एवं गोपनीयता से संबंधित सफल बोलीकर्ता की बाध्यता इस करार की समाप्ति या निरस्तीकरण, चाहे किसी भी कारण से हो, तक वैध रहेगी।

4.4 न्यूनतम मजदूरी का अनुपालन

कार्य दिए जाने से पहले सफल बोलीकर्ता को लागू मूल्य के गैर न्यायिक मुद्रांक पेपर पर यह वचन देना होगा कि इस कार्य विशेष को पूरा करने के लिए वह विभिन्न विवरण वाले जिन कार्मिकों को नियोजित करेगा उन सभी को वास्तविक वेतन का भुगतान उस दर से करेगा जो कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगी एवं प्रधान नियोक्ता को उन सभी कार्रवाईयों से रक्षित रखेगा जो प्रधान नियोक्ता के विरुद्ध सांविधिक प्राधिकारी कर सकते हैं जो कि इस वजह से की जा सकती हैं कि उसने ऐसी मजदूरी का भुगतान नहीं किया और/ या आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराईं।

मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 या इस संबंध में लागू अन्य कोई श्रम कानून / संविधि के प्रावधानों के उल्लंघ के कारण होनी वाली हानि एवं दावों, क्षति या क्षतिपूर्ति संबंधी सभि दावों से सफल बोलीकर्ता बैंक को रक्षित रखेगा।

जांच के समय सफल बोलीकर्ता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह नियोजित कार्मिकों को किए गए भुगतान के सबूत के रूप में बैंक खाता के ब्योरे प्रस्तुत करे।

4.5 **कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन**

i) "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए सफल बोलीकर्ता ही पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। यदि बैंक परिसर में इसके कर्मचारियों के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत आती है तो सफल बोलीकर्ता द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत फाइल की जाएगी तथा सफल बोलीकर्ता को इस अधिनियम के तहत समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

ii) यदि बैंक कर्मचारी के विरुद्ध सफल बोलीकर्ता के किसी पीड़ित कर्मचारी की शिकायत प्राप्त होती है तो बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति इस मामले का संज्ञान लेगी।

iii) घटना में सफल बोलीकर्ता के कर्मचारी का हाथ होने पर यदि मौद्रिक क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की आवश्यकता पड़े तो यह जिम्मेदारी सफल बोलीकर्ता की होगी उदाहरणार्थ ,सफल बोलीकर्ता के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा सिद्ध होने पर बैंक की कर्मचारी को मौद्रिक राहत।

iv) कार्य क्षेत्र में यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी सफल बोलीकर्ता की होगी।

v) सफल बोलीकर्ता बैंक परिसर में नियोजित होने वाले अपने कर्मचारियों की पूर्ण एवं अद्यतन सूची उपलब्ध कराएगा।

4.6 **प्री-बिड मीटिंग:**

एक बोली-पूर्व बैठक कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, विद्यापीठ मार्ग, पुणे – 411 016 में **01 नवंबर, 2019 को प्रातः 11.00 बजे** आयोजित की जाएगी | बोली-पूर्व बैठक में शामिल होने के इच्छुक बोलीकर्ता अपने प्रश्न और सहमति, 30 अक्तूबर 2019 तक ई-मेल से पर भेज सकते हैं |

4.7 **अन्य अनुदेश**

i. बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा दस्तावेज का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें। निविदाकर्ता निविदा जमा करने से पहले अपेक्षित कार्य की प्रकृति को समझने के लिए भारिबैं अभिलेखागार का दौरा कर सकता है। निविदा के प्रस्तुतिकरण को निविदा दस्तावेज में दिए गए सभी निर्देशों, नियमों और शर्तों के सावधानीपूर्वक अध्ययन और परीक्षा के बाद किया गया माना जाएगा। डिजिटल की जाने वाली फाइलें / रजिस्टर आदि निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से पहले सभी कार्य दिवसों में बैंक (भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय परिसर, भारतीय रिज़र्व बैंक, विद्यापीठ मार्ग, पुणे) में 10:00 बजे से 16:00 बजे के दौरान देखने के लिए उपलब्ध हैं।

ii. प्रस्तावित कार्य भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार, पुणे के परिसर में ही पूरा किया जाना है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार के परिसर के बाहर **किसी भी दस्तावेज** (हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी) को ले जाने की अनुमति **नहीं** होगी।

iii. जिन दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करना है उनमें से अधिकांश ए4 या लीगल आकार के हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार में जिन दस्तावेजों को स्कैन किया जाना है/ डिजिटलीकृत किया जाना है उनका आकार पोस्टकार्ड के आकार से लेकर ए0 आकार तक है। तथापि, लगभग 95% दस्तावेज या तो लीगल आकार के हैं या ए4 आकार के हैं। बोलीकर्ता को दस्तावेज के आकार पर ध्यान दिए बिना डिजिटलीकरण / स्कैनिंग के लिए प्रति पृष्ठ दर के आधार पर लागत उद्धृत करनी चाहिए।

iv. रिक्त पृष्ठों को स्कैन नहीं किया जाना चाहिए।

v. कार्य क्षेत्र की सफाई, डिजिटलीकरण उपकरण, और मूल चीजें जैसे स्कैनर्स और कंप्यूटर उपकरण आदि को नियमित रूप से विक्रेता के कर्मचारियों द्वारा साफ करना होगा।

vi. सफल बोलीकर्ता को बैंक की छुट्टियों को छोड़कर सभी कार्य दिवसों अर्थात सोमवार से शुक्रवार तक कार्यालय समय के दौरान पूर्वाह्न 9:15 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक कार्य निष्पादित करना होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार में कार्य करने के लिए अधिकृत बोलीकर्ता के कर्मचारियों को बैंक के नियमों एवं सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

vii. पर्याप्त संख्या में उपस्कर तथा कर्मचारियों का उपयोग करते हुए बोलीकर्ता को **प्रति माह कम-से-कम 75,000 पृष्ठों (औसतन)** का डिजिटलीकरण करना होगा जिसमें दस्तावेज के पृष्ठ पर अंक देना, पिन, क्लिप आदि निकालना, स्कैनिंग / डिजिटलीकरण तथा फाइलों में दस्तावेज को फिर से टैग करना शामिल है।

viii. ओवरहैड स्कैनर को स्थापित करने के लिए आवश्यक स्थान तथा बिजली का कनैक्शन भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार बिना किसी अतिरिक्त प्रभार के उपलब्ध कराएगा।

ix. अभिलेख की डिजिटल प्रति यदि निविदा में दिए गए विनिर्देश के अनुरूप नहीं होती है तो बोलीकर्ता को इसका रि-टेक करना होगा। डिजिटल इमेज की गुणवत्ता के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार का निर्णय अंतिम होगा।

x. भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार को डिजिटल प्रति सुपुर्द करने के अलावा, बोलीकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार के किसी भी दस्तावेज / अभिलेख की डिजिटल प्रति **नहीं** बनाएगा या रखेगा।

xi. बोलीकर्ता को पेशेवर रूप से अर्हता प्राप्त पर्यवेक्षक (पर्यवेक्षकों) को नियोजित करना चाहिए जो कि डिजिटल इमेज को भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार को सौंपने एवं सूचना / अभिलेखों की प्रभावी पुन: प्राप्ति की अंतिम रूप से जांच कर सके।

xii. सभी स्कैन किए गए और डिजीटल किए गए डेटा और दस्तावेज भारिबैं की संपत्ति होंगे और विक्रेता का इसमें कोई अधिकार, हक़ या हित नहीं होगा। भारिबैं के पास कहीं भी और किसी भी तरीके से डिजिटल डेटा का उपयोग करने का विशेष अधिकार होगा।

xiii. बोलीकर्ता के प्रतिनिधियों को कार्य करने के लिए जो स्थान दिया गया है उसके अलावा उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार के अंदर किसी अन्य स्थान पर जाने की अनुमति नहीं होगी।

xiv. कार्य पूर्ण होने के पश्चात, बोलीकर्ता को अपना सिस्टम साफ करना चाहिए एवं बोलीकर्ता या इसके सहयोगियों या कर्मचारियों के पास कार्य पूरा होने के बाद कोई भी दस्तावेज नहीं होना चाहिए।

xv. बैंक परिसर में डिजिटलीकरण के कार्य में सफल बोलीकर्ता के जो भी कर्मचारी या एजेंट लगे हों उन सभी को उसे पहचान पत्र उपलब्ध कराने चाहिए। बैंक परिसर में कार्य करने के दौरान सभी कर्मचारियों एवं एजेंटों को अपना पहचान पत्र हमेशा धारण करना चाहिए।सफल बोलीकर्ता कार्य के लिए ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसको पुलिस द्वारा सत्यापित हो (चरित्र प्रमाणपत्र) या उस व्यक्ति का पुलिस सत्यापन सुनिश्चित करेगा |

xvi. बोलीकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे अभिलेखों की स्कैनिंग एवं डिजिटलीकरण के लिए अपनी न्यूनतम दर उद्धृत करें। प्रति पृष्ठ लागत में **टीआईएफएफ**, खोज योग्य **पीडीएफ / ए** तथा उच्च स्तरीय पीडीएफ (Access Quality PDF) इमेज दोनों के तथा प्रत्येक इमेज फाइल के क्रोपिंग, रिंस क्लीयरेंस की लागत शामिल होनी चाहिए।

xvii. स्कैन / डिजिटलीकृत की गई सभी फाइलों में बोलीकर्ता **" फ़ाइल डिजीटल है और विधिवत पुनर्निर्माण किया गया है"** की मुहर लगाए। बोलीकर्ता मासिक आधार पर प्रमाणपत्र भी दे जिसमें प्राप्त, डिजिटलीकृत, रिकंस्ट्रक्टिड एवं वापिस की गई फाइलों के डिजिटलीकृत ब्योरे दिए गए हों। बैंक का नामित अधिकारी इसकी जांच करेगा तथा किसी भी तरह की विसंगति के लिए बोलीकर्ता पूरी तरह जिम्मेदार होगा।

xviii. सभी स्कैन किए गए और डिजीटल डेटा और दस्तावेज़ आरबीआई की संपत्ति होंगे और विक्रेता को इसमें कोई अधिकार, शीर्षक, अभिरुचि नहीं होगा | भारतीय रिज़र्व बैंक के पास इस डाटा के उपयोग का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा |

xix. भारिबैं अभिलेखागार परिसर के बाहर किसी भी दस्तावेज को, किसी भी तरीके से वह चाहे जो भी हो, ले जाने या प्रेषित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विक्रेता का कोई भी

कर्मचारी किसी भी अनधिकृत व्यक्ति से कोई भी दस्तावेज या उससे संबंधित जानकारी साझा नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर अनुबंध की तत्काल समाप्ति हो जाएगी और कार्यनिष्पादन सुरक्षा जमा राशि की जब्ती के साथ ही विक्रेता को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। विफलता के मामले में विक्रेता पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और स्थानीय अदालत के अधिकार क्षेत्र के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

xx. बोलीकर्ता सभी श्रमिकों, मजदूरों, बाहर से काम पर लगाए गए व्यक्तियों का प्रमुख नियोक्ता होगा और ऐसे व्यक्तियों को भारिबैं के पास किसी भी प्रकार के रोजगार या अनुबंध का कोई अधिकार नहीं होगा।

xxi. बोलीकर्ता भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा कार्य और कर्मचारियों के संबंध में बनाए जाने वाले सभी अधिनियमों और नियमों और विनियमों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा। विक्रेता द्वारा काम पर लगाए गए सभी कर्मचारियों का प्रमुख नियोक्ता केवल विक्रेता होगा और वह न्यूनतम मजदूरी, ग्रेच्युटी, ईपीएफ, ईएसआई, आदि सहित यथा लागू सभी श्रम कानूनों का पालन करेगा। बैंक, विक्रेता द्वारा किए जानेवाले काम के लिए लगे कर्मचारियों की नियोजन की शर्तों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

xxii. **संविदा के पक्ष :** संविदा के पक्ष के रूप में सफल बोलीकर्ता एवं प्रधानाचार्य, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, विद्यापीठ मार्ग, पुणे – 411 016 होंगे।

xxiii. **बोलीकर्ता का पता :** मध्यस्थता सहित संविदा के सभी उद्देश्यों के लिए निविदा में उल्लिखित बोलीकर्ता का पता ही अंतिम होगा शिवाय उस स्थिति के जब बोलीकर्ता एक अलग पत्र के द्वारा प्रधानाचार्य, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, विद्यापीठ मार्ग, पुणे – 411 016 को पते में परिवर्तन के बारे में अधिसूचित करें।

4.8 **निविदा पर हस्ताक्षर करना**

संविदा के संबंध में निविदा पर या अन्य दस्तावेजों पर व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करने पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए कि वह किस रूप में हस्ताक्षर कर रहे हैं :-

i. संस्था के "पूर्ण स्वामी" के रूप में या ऐसे पूर्ण स्वामी के गठित एटॉर्नी के रूप में।

ii. अगर यह साझीदार फर्म है तो फर्म के साझीदार के रूप में, इस स्थिति में उनके पास फर्म की तरफ से संविदा निष्पादित करने एवं साझीदारी करार या फर्म के साझीदारों द्वारा विधिवत निष्पादित मुख्तारनामे द्वारा साझीदारी कारोबार से संबंधित विवादों की मध्यस्थता को संदर्भित करने का प्राधिकार होना चाहिए।

iii. यदि यह कंपनी है तो कंपनी के बोर्ड या निदेशकों द्वारा विधिवत प्राधिकृत निदेशक या प्रधान अधिकारी।

iv. साझीदारी फर्म के मामले में, नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत सत्यापित साझीदारी करार या आम मुख्तारनामे की प्रति स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत की जाए जिसमें साझीदारी करार या आम मुख्तारनामे के निष्पादन की सभी साझीदार पुष्टि करें। निविदा के साथ फर्म के पंजीकरण प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति संलग्न की जाए।

v. साझीदारी फर्म के मामले में, साझीदारी कारोबार से संबंधित विवादों को संदर्भित करने का प्राधिकार किसी भी पक्ष को न दिया गया हो तो निविदा तथा अन्य सभी दस्तावेजों पर फर्म के सभी साझीदारों को हस्ताक्षर करने चाहिए।

vi. निविदा फॉर्म या निविदा के भाग वाले अन्य किसी दस्तावेज पर अन्य व्यक्ति की तरफ से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने का प्राधिकार होना चाहिए और यदि जांच पर यह ज्ञात हुआ कि हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा करने का प्राधिकार नहीं था तो बैंक बिना प्रतिकूल प्रभाव के संविदा निरस्त कर सकता है एवं उपलब्ध सिविल तथा आपराधिक उपचारों के तहत सभी लागत, परिणामों तथा क्षतिपूर्ति के लिए हस्ताक्षरकर्ता को जिम्मेदार ठहराएगा।

vii. दस्तावेजों को पढ़ने एवं समझने के प्रतीक के रूप में सफल बोलीकर्ता को निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना हस्ताक्षर करना चाहिए एवं अपने फर्म की मुहर लगानी चाहिए। सफल बोलीकर्ता को उसके प्रस्ताव के स्वीकार होने एवं निविदा प्रदत्त करने की सूचना मिलने पर रु. 500/- (या जो लागू हो) के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बैंक के साथ करार करना होगा। निविदा दस्तावेज से कोई भी पृष्ठ हटाया / निकाला न जाए।

4.9 **कार्य को शिकमी सबलेट) देना**

सफल बोलीकर्ता को किसी अन्य एजेंसी / संस्था को पूरे कार्य को या इसके अंश को, किसी भाग को समनुदेशित, अंतरित या शिकमी नहीं करना चाहिए या समनुदेशित, अंतरित या शिकमी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

4.10 **विलंब हेतु संविदा में दंड**

अभिलेखों के डिजिटलीकरण की अपनी संविदागत बाध्यताओं के निष्पादन में बोलीकर्ता यदि कोई विलंब करता है तो विलंब के लिए बोलीकर्ता प्रति सप्ताह कुल संविदा राशि के 1.0% से अधिकतम 20% की कटौती का पात्र होगा जो कि संविदा के कुल मूल्य के अधीन होगी एवं इसकी वसूली लंबित बिलों से की जाएगी।

5. भुगतान की शर्तें

i) **बैंक अग्रिम भुगतान जारी नहीं करेगा।**

ii) बोलीकर्ता डिजिटाइज्ड डेटा इसकी सूची के साथ हर महीने के पहले सप्ताह में भारिबैं अभिलेखागार को प्रस्तुत करना चाहिए।

iii) भारिबैं अभिलेखागार द्वारा डिजीटल डेटा की जाँच और स्वीकृति के बाद ही विक्रेता द्वारा बिल बनाए जाएंगे और उसके बाद भुगतान जारी किया जाएगा।

iv) सभी भुगतान वैधानिक और अन्य लागू कटौतियों तथा भविष्य में लागू करने वाले प्राधिकारियों द्वारा इसे संशोधित किए जाने के अधीन हैं।

v) संविदा के तहत जुर्माना, यदि कोई हो, तो वह बोलीकर्ता को देय भुगतानों से वसूली योग्य होगा।

vi) सफल बोलीकर्ता स्थानीय और अन्य करों सहित सभी प्रकार की देनदारियों के लिए जिम्मेदार होगा। आयकर प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक बिल से सभी लागू करों की कटौती की जाएगी।

vii) यदि बोलीकर्ता संविदा के तहत अपनी बाध्यताओं, जिसमें कार्य आदेश के तहत इसे पूरा न करना भी शामिल है, पूरा नहीं कर पाता है तो बैंक यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह किसी अन्य वेंडर से कार्य पूरा करा ले एवं चूक करने वाले बोलीकर्ता की निष्पादन गारंटी ईएमडी/ जमानत राशि को जब्त कर ले। चूककर्ता फर्म के गैर-निष्पादन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली किसी या सभी लागतों, हानियों/ क्षतिपूर्ति आदि के भुगतान के लिए ऐसा बोलीकर्ता जिम्मेदार होगा।

viii) निविदा में निर्धारित अनंतिम अपेक्षाओं के विपरीत यदि बोलीकर्ता आरंभिक सप्ताह में ही संतोषजनक कार्य करने में असफल रहता है तो बैंक के पास यह विकल्प होगा कि वह संविदा को तुरंत निरस्त कर दे। संविदा निरस्तीकरण के लिए कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। इसके परिणामस्वरूप बैंक के विवेक पर संविदा किसी अन्य बोलीकर्ता को दी जा सकती है।

ix) विलंबित भुगतान के लिए कोई ब्याज देय नहीं होगा एवं सभी भुगतान चयनित बोलीकर्ता के बैंक खाते में एनईएफटी के माध्यम से ही किए जाएंगे।

6. बोली प्रस्तुत करना एवं इनका चयन

i) बोलीकर्ता से अपेक्षित है कि वह निविदा दस्तावेज में निहित सभी अनुदेशों, फॉर्मों, अनुबंध एवं शर्तों की जांच कर ले। बोली सटीक, पूर्ण एवं निविदा में दी गई अपेक्षाओं के अनुसार

निर्धारित फॉर्मेट में होनी चाहिए। तकनीकी एवं वाणिज्यिक बोली के सभी पृष्ठों पर क्रमवार संख्या होनी चाहिए। सभी अपेक्षित सूचनाएं प्रस्तुत करने में असफल रहना, या प्रत्येक तरह से अपेक्षाओं के अनुरूप बोली प्रस्तुत न करना बोलीकर्ता के अपने जोखिम पर होगा और इसके परिणामस्वरूप बोली निरस्त की जा सकती है तथा बयाना जमा राशि को जब्त किया जा सकता है।

ii) बोली तैयार करने तथा इसके प्रस्तुतीकरण से संबंधित सभी खर्च बोलीकर्ता को ही वहन करने होंगे तथा इस लागत के लिए बैंक को किसी भी स्थिति में जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है चाहे भले ही बोली प्रक्रिया का आयोजन या परिणाम कुछ भी रहे।

6.1 बोली दस्तावेजों में संशोधन

बोली प्रस्तुत करने की अंतिम समय-सीमा से पहले किसी भी समय बैंक किसी भी कारण से, चाहे यह उसकी स्वयं की पहल हो या बोलीकर्ता द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के प्रत्युत्तर में, संशोधन के माध्यम से बोली दस्तावेज को आशोधित कर सकता है। सभी संभाव्य बोलीकर्ताओं को इन संशोधनों के बारे में बैंक की वेबसाइट के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा एवं ऐसे सभी संशोधन उनके लिए बाध्यकारी होंगे। अपनी बोली तैयार करते समय इन संशोधनों को उसमें शामिल करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर बोलीकर्ताओं को उचित समय देने के लिए बैंक यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा को बढ़ा सकता है और इस बारे में बैंक की वेबसाइट https://www.rbi.org.in पर अधिसूचित किया जाएगा।

6.2 बयाना जमा राशि ईएमडी)

i) सभी बोलीकर्ताओं को रु. 16,000/- (सोलह हजार रुपए मात्र) की बयाना जमा राशि (ईएमडी) एनईएफटी (**अनुबंध-III** में दिए गए ब्योरे के अनुसार) जमा करनी होगी। इस लेनदेन के ब्योरे निविदा दस्तावेजों के साथ उपलब्ध कराए जाएं। इस शर्त के अनुपालन न करने पर इस निविदा को शून्य करार दिया जाएगा।

ii) सफल बोलीकर्ता की बयाना जमा राशि (ईएमडी) को तब तक बैंक द्वारा अपने पास रखा जाएगा जब तक कि सफल बोलीकर्ता निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत न कर दे। यदि सफल बोलीकर्ता बैंक के साथ करार करने एवं निविदा का कार्य लेने में असफल रहता है तो बयाना जमा राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी। जिन बोलीकर्ताओं की बोली स्वीकार नहीं की गई है उनकी बयाना जमा राशि (ईएमडी) संविदा प्रदत्त किए जाने के पश्चात वापिस कर दी जाएगी। बयाना जमा राशि (ईएमडी) पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

6.3 निष्पादन बैंक गारंटी पीबीजी)

सफल बोलीकर्ता को संविदा स्वीकार्यता पत्र के साथ संविदा राशि की, प्रधानाचार्य, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे के पक्ष में निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) जमा करनी

होगी। यह निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) संविदा समाप्त होने की तारीख के 90 दिन बाद तक वैध रहेगी। बोलीकर्ता के असंतोषजनक निष्पादन के कारण और / या सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित कर्मचारियों की असफलता या लापरवाही या करार के अनुबंध और शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि बैंक को कोई नुकसान/ हानि होती है तो सफल बोलीकर्ता द्वारा जमा की गई निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) जब्त/ समायोजित की जा सकती है। निष्पादन बैंक गारंटी **अनुबंध VI** में दिए गए फॉर्मेट में उपलब्ध कराई जाए।

6.4 निविदा हाथ से भरना

निविदा फॉर्म हिंदी या अंग्रेजी में भरा जाए तथा सभी प्रविष्टियां हाथ से की जाएं एवं इन्हें स्याही से लिखा जाए । यदि कोई दस्तावेज गुम है या इस पर हस्ताक्षार नहीं है तो बैंक अपने विवेक पर इसे अमान्य समझ सकता है ।

6.5 निविदा भरते समय बरती जाने वाली सावधानियां

निर्दिष्ट कॉलम में दर शब्दों एवं अंकों में उद्धृत की जाए । निविदा दस्तावेज में किसी भी तरह के विलोपन (इरेज़र) एवं संशोधन को बोलीकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किया जाए। वाणिज्यिक बोली में किसी भी तरह के विलोपन, संशोधन, उपरिलेखन (ओवरराइटिंग) स्वीकार नहीं की जाएगी तथा इससे बोली खारिज की जा सकती है। इनमें से किसी भी शर्त के अनुपालन में असफल रहने से बैंक के विकल्प पर निविदा को शून्य करार दिया जा सकता है। किसी भी तरह की सूचना, विशेषत: भाग - II के खोले जाने के पश्चात दर विनिर्देश में परिवर्तन संबंधी, पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.6 निविदा पर हस्ताक्षर किए जाने हैं

निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीकर्ता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं जो इस बात का प्रतीक होगा कि उसने / उन्होंने संविदा की निर्धारित शर्तों आदि को समझ लिया है। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न किए जाने की स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकती है।

6.7 निविदा पर हस्ताक्षर

फर्म की तरफ से प्रस्तुत की जाने वाली निविदा पर फर्म के सभी साझीदारों द्वारा या किसी ऐसे साझीदार द्वारा जिसके पास फर्म की तरफ से प्रस्तावित संविदा में शामिल होने का आवश्यक प्राधिकार हो या कंपनी के मामले में ऐसे व्यक्ति जिनके पास बोर्ड द्वारा प्राधिकृत मुख्तारनामा (बोर्ड के संकल्प की प्रति संलग्न की जाए) हो, हस्ताक्षर करें, उक्त तथ्यों के अनुपालन में असफल रहने पर बैंक निविदा को निरस्त कर सकता है ।

6.8 निविदा को स्वीकार न किया जाना

बैंक न्यूनतम या अन्य किसी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है एवं यह अधिकार

सुरक्षित रखता है कि वह बिना कोई कारण बताए किसी एक या सभी निविदाओं को, चाहे पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

6.9 अमान्य निविदा

प्रथम दृष्टया जांच के उपरांत यदि यह पाया जाता है कि कोई बोलीकर्ता अपेक्षित पात्रता मानक पूरे नहीं करता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत निविदा को आगे संसाधित नहीं किया जाएगा।

6.10 निविदा की वैधता

निविदा खोलने की तारीख से 90 दिन की अवधि तक निविदा बैंक द्वारा स्वीकार करने के लिए वैध बनी रहेगी, इस अवधि को आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है, बोलीकर्ता इस अवधि में निविदा को खारिज या वापिस नहीं ले सकता है।

6.11 क्षतिपूर्ति हेतु बैंक जिम्मेदार नहीं

किसी भी कारण से अगर यह संविदा निरस्त होती है तो बोलीकर्ता / या उसके द्वारा नियोजित कार्मिक बैंक से क्षतिपूर्ति या हानि के रूप में कोई भी राशि पाने के हकदार नहीं होंगे । उक्त सेवाओं हेतु सफल बोलीकर्ता द्वारा नियोजित कर्मचारी सभी निहितार्थों एवं उद्देश्यों के लिए बोलीकर्ता के ही कर्मचारी रहेंगे और इस तरह नियोजित कर्मचारी बोलीकर्ता के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में ही रहेंगे। किसी भी स्थिति में उक्त कर्मचारियों एवं बैंक के बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से कर्मचारी एवं नियोक्ता का रिश्ता नहीं होगा । यह सुनिश्चित करना बोलीकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि उसने जिन कर्मचारियों को नियोजित किया है उनके कारण बैंक पर कोई देयता न बने ।

6.12 संविदा का नवीनीकरण

यदि बैंक बोलीकर्ता की सेवाएं संतोषजनक पाता है एवं यदि बैंक की इच्छा हो तो इस संविदा को उन्हीं अनुबंध एवं शर्तों के तहत नवीकृत किया जा सकता है पर ऐसा सांविधिक अपेक्षाओं में हुए परिवर्तन के अधीन होगा ।

6.13 संविदा हेतु करार

इस निविदा की स्वीकार किए जाने के बारे में बैंक से सूचना मिलने पर सफल बोलीकर्ता को दो प्रतियों (डुप्लीकेट) में तथा द्विभाषी रूप में करार निष्पादित करना होगा ।

6.14 अपात्रता

बैंक निम्नलिखित मामलों में बोलियों को निरस्त करने का अधिकार रखता है :-

i. जो बोलियां निर्धारित तारीख तथा समय के बाद प्राप्त हों।

ii. जिन बोलियों के साथ अपेक्षित दस्तावेजों के साथ-साथ बयाना जमा राशि (ईएमडी) न हो।

iii. यदि वाणिज्यिक बोली की हार्ड कॉपी पर एजेंसी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर न हों।

iv. बोली में पर्याप्त रूप से उत्तर न दिए गए हों एवं ये अपेक्षित फॉर्मेट के अनुसार प्रस्तुत न की गई हो।

v. यदि एजेंसी ने बोली की वैधता के दौरान या विस्तारित अवधि, यदि हो तो, के दौरान उद्धृत कीमत बढ़ाई हो।

vi. यदि बोलीकर्ता अपने अनुबंध एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए बोली प्रस्तुत करे।

vii. तकनीकी बोली में प्रस्तुत सूचना मिथ्या निरूपित, गलत या झूठी पाई जाए।

viii. वित्तीय बोली के साथ ही उसी लिफाफे में तकनीकी बोली रखना।

ix. बोलीकर्ता निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने में असफल रहे या संविदा मिलने के 10 कार्य दिवसों के अंदर या बैंक द्वारा निर्दिष्ट विस्तारित अवधि में संविदा करने में असफल रहे।

x. बोलीकर्ता यह विशेष रूप से नोट करें कि बोलियों के मूल्यांकन के समय बैंक की जानकारी में स्पष्ट रूप से या निहित रूप से यह तथ्य आता है कि कुछ बोलीकर्ताओं ने किसी भी तरीके से या अन्यथा सांठगांठ की है करके एक गठजोड़ बना लिया है जिससे परिणामस्वरूप बोली प्रक्रिया में विलंब हो तो जो बोलीकर्ता इसमें शामिल होंगे वे इस संविदा के साथ-साथ आगामी दो वर्ष के लिए अयोग्य घोषित हो सकते हैं।

6.15 निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

निविदा **15 नवंबर, 2019** को **14:00** बजे तक प्रस्तुत कर दी जाए। बोली प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तारीख को यदि सरकारी छुट्टी घोषित कर दी जाती है तो बोलियां अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय तक स्वीकार की जाएंगी।

6.16 प्रस्तुति की अंतिम तारीख आगे बढ़ाना

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को बैंक आगे बढ़ा सकता है एवं इसे बैंक की वेबसाइट के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा।

6.17 निविदा प्रस्तुत में विलंब

डाक संबंधी विलंब या अप्राप्ति / वितरित न होना / अपूर्ण निविदा के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6.18 मूल्य

बोलीकर्ता द्वारा वाणिज्यिक बोली में उद्धृत दर अंतिम होगी एवं इस संविदा के तहत बाध्यताओं को पूरा करने में कर्मचारियों एवं सामग्री की लागत या कुल लागत को प्रभावित करने वाले लागत संबंधी अन्य घटकों में होने वाले परिवर्तनों के कारण संविदा के मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस मूल्य में जीएसटी को छोड़कर अन्य सभी कर, ड्यूटी, प्रभार तथा लेवी शामिल होंगे। जो मूल्य एक बार प्रस्तावित कर दिया गया है वह स्थाई रहेगा तथा संविदा अवधि के दौरान किसी भी कारण से यह किसी भी बढ़ोत्तरी के अधीन नहीं होगा। समायोजन मूल्य उद्धरण या सशर्त प्रस्तावों के रूप में प्रस्तुत प्रस्तावों को उत्तर न देने वाले के रूप में निरस्त कर दिया जाएगा।

6.19 **बोली में आशोधन एवं इसे वापिस लेना**

बोली प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के पश्चात बोलीकर्ता को इसमें संशोधन करने, स्थानापन्न करने या वापिस लेने की अनुमति नहीं होगी।

6.20 **शर्तों को समझने की सहमति**

जब कोई बोलीकर्ता बोली प्रस्तुत करता है तो यह समझा जाएगा कि उसने फॉर्मों सहित इस निविदा नोटिस के सभी खंड सावधानीपूर्वक पढ़ लिए हैं एवं सभी वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबंधों के बारे में पूरी तरह समझ लिया है।

6.21 **बोली प्रस्तुत करना**

बोली को निम्नलिखित अनुदेशों के अनुसार प्रस्तुत किया जाए :-

6.21.1 लिफाफा 1: तकनीकी बोली और ईएमडी

तकनीकी बोली और ईएमडी को मुहरबंद लिफाफे में रखा जाए जिसे निविदा नोटिस में निर्धारित फॉर्मों के अनुसार भरा जाए। मुहरबंद लिफाफे के ऊपर **"तकनीकी बोली - पुरालेखीय अभिलेखों का डिजिटलीकरण"** लिखा जाए।

6.21.2 लिफाफा 2: वाणिज्यिक बोली

वाणिज्यिक बोली को अलग मुहरबंद लिफाफे में रखा जाए जिसे निविदा नोटिस में निर्धारित फॉर्मों के अनुसार भरा जाए। मुहरबंद लिफाफे के ऊपर **"वाणिज्यिक बोली - पुरालेखीय अभिलेखों का डिजिटलीकरण"** लिखा जाए।

6.21.3 लिफाफा 3 :

उक्त सभी 2 लिफाफों को तीसरे लिफाफे में रखा जाए, फिर इसे सही तरीके से मुहरबंद किया जाए एवं इसके ऊपर **"भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार में पुरालेखीय अभिलेखों (कागज़ी रूप में) का डिजिटलीकरण हेतु निविदा"** लिखा जाए।

नोट : उक्त उल्लिखित सभी बाहरी तथा अंदरूनी लिफाफों को सही तरीके से मुहरबंद किया जाए तथा इसे **प्रधानाचार्य, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, विद्यापीठ मार्ग, पुणे - 411 016** को संबोधित किया जाए और बोलीकर्ता को अपने नाम, पता तथा फोन नंबर के साथ संपर्क व्यक्ति के नाम का उल्लेख करना चाहिए।

6.22 निविदा का मूल्यांकन

तकनीकी बोली का मूल्यांकन निविदा दस्तावेज में उल्लिखित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा। तकनीकी बोली के मूल्यांकन के पश्चात पात्र बोलीकर्ताओं की सूची तैयार की जाएगी, जिन्हें वाणिज्यिक बोली खोलने की तारीख तथा समय के बारे में सूचित किया जाएगा। इस तरह निर्धारित की गई तारीख तथा समय पर वाणिज्यिक बोली उन बोलीकर्ताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी जो बोली खोलने के समय उपस्थित रहना चाहें।

6.23 अप्रत्याशित घटना फोर्स मेज्योर)

दोनों में से कोई भी पक्ष एक या अधिक अप्रत्याशित घटनाओं जैसे कि, सिर्फ इन तक सीमित नहीं, प्राकृतिक आपदा, युद्ध, बाढ़, भूकंप, हड़ताल, तालाबंदी, आग, महामारी, दंगा, सिविल भगदड़ आदि के कारण अपनी संविदागत बाध्यताओं को पूरा करने में विलंब करते हों तो संबंधित बाध्यता को पूरा करने के लिए ऐसी घटना के कारण हुए विलंब के बराबर का सहमत समय दिया जाएगा। ऐसी किसी भी घटना के घटने एवं इसके खत्म होने के बारे में प्रभावित पक्ष अन्य पक्ष को लिखित रूप में नोटिस देगा। यदि अप्रत्याशित घटना 30 दिन के बाद भी बरकरार रहे तो दोनों पक्ष आपस में विचार-विमर्श करके आगे की कार्रवाई के बारे में निर्णय ले सकते हैं।

6.24 चूक के लिए संविदा का समापन

बैंक संविदा में भंग के लिए किसी अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सफल बोलीकर्ता को चूक में सुधार के लिए एक महीने की लिखित नोटिस दे सकता है और सफल बोलीकर्ता द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफल रहने या उपेक्षा करने या चूक को नहीं सुधारने पर इस संविदा को पूर्णतः या अंशतः समाप्त कर सकता है ।

i) यदि सफल बोलीकर्ता कार्य की किसी या सभी मदों को, जैसाकि निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट है, संविदा में विनिर्दिष्ट अवधि(यों) के भीतर पूरा करने में विफल रहता है : अथवा

ii) यदि सफल बोलीकर्ता संविदा के अंतर्गत किन्ही अन्य बाध्यताओं को पूरा करने में विफल रहता है ।

iii) चूक के लिए संविदा का समापन किये जाने पर सफल बोलीकर्ता की इएमडी जब्त कर ली जायेगी ।

iv) चूक के लिए संविदा का समापन हो जाने पर बैंक के विवेक पर सफल बोलीकर्ता को काली सूची में रखने की कार्रवाई की जायेगी ।

v) बैंक को अधिकार है कि वह निविदा दस्तावेज में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों को भंग किये जाने के मामले में न्यायालय जाये ।

6.25 न्यायिक क्षेत्राधिकार

यह समझा जाएगा कि यह संविदा उसी स्थान पर हुई है जहां से क्रय आदेश जारी किया गया है एवं इस संविदा से उत्पन्न होने वाले विवादों के बारे में निर्णय देने के लिए उसी स्थान के न्यायालय का न्याय क्षेत्राधिकार होगा।

अनुबंध

अनुबंध - I

तकनीकी बोली प्रस्तुत करने के लिए प्रोफॉर्मा

(तकनीकी बोली भरने से पूर्व निविदा दस्तावेज में
उल्लिखित शर्तों को स्पष्ट रूप से समझ लिया जाए)

<table>
<tr><td>1.</td><td>संस्था का नाम, पता, टेलीफोन नंबर</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>कारोबार शुरू करने की तारीख (कृपया सबूत प्रस्तुत करें)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>संस्था की स्थिति (अर्थात स्वत्वाधिकारी, साझीदारी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, आदि के तहत पंजीकृत में से क्या है)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>संस्था की पंजीकरण संख्या (कृपया पंजीकरण / निगमित होने संबंधी प्रमाणपत्र संलग्न करें)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) / स्वत्वाधिकारी का नाम</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>जिस व्यक्ति से संपर्क किया जाए उसका नाम, पदनाम एवं पते के साथ फोन / मोबाइल नंबर</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>वार्षिक टर्नओवर (पिछले तीन वित्तीय वर्ष का तुलन पत्र/ आय कर रिटर्न / सी.ए. का प्रमाणपत्र की फोटोप्रति संलग्न करें)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) संख्या</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>संस्था का पैन नंबर</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">10.</td><td rowspan="3">एनईएफटी के माध्यम से विप्रेषण किया गया हो तो यूटीआर संख्या :
ईएमडी : रु. 16,000/-</td><td>यूटीआर सं.</td><td>तारीख</td><td>बैंक का नाम</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>बोली प्रस्तुत करने की तारीख के पिछले तीन वर्ष तक सफलतापूर्वक पूरी की गई संविदाओं के ब्योरे, इसके साथ ग्राहक संस्था के संपर्क व्यक्तियों का पता, टेलीफोन नंबर के साथ-साथ कार्य आदेश की प्रति एवं ग्राहक संस्था से पूर्णता प्रमाणपत्र।</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

12.	बोलीकर्ता के पे रोल पर कर्मचारियों की संख्या – प्रबंधकीय, पर्यवेक्षी, लिपिकीय, अन्य (कृपया स्पष्ट करें)।	

13. अभिलेखों के डिजिटलीकरण हेतु बोलीकर्ता ने जिन **तीन** ख्याति प्राप्त संस्थानों को सेवा दी है / सेवा दे रहा है उनके ब्योरे (कृपया व्यापक सूची संलग्न करें) ।

नाम तथा पता	संपर्क व्यक्ति (व्यक्तियों) के नाम तथा फोन नंबर	संविदा की वार्षिक लागत	कब से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं

14. **बोलीकर्ता द्वारा दी जाने वाली घोषणा**:

क. प्रमाणित किया जाता है कि दी गई सूचना सही है।

ख. हमने निविदा दस्तावेजों में दिए गए अनुबंध एवं शर्तों को देखा है एवं हम इनके अनुपालन की पुष्टि करते हैं।

ग. हम समझते हैं कि तकनीकी तथा वाणिज्यिक बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने के तथा निविदा के परिणाम के बारे में बैंक का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

घ. इस बोली पर हस्ताक्षर करने वाले संस्था की तरफ से ऐसी बोलियों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हैं।

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

मोबाइल नंबर :

ई-मेल आईडी :

कंपनी की मुहर :

अनुबंध – II

बोलीकर्ता का कार्य अनुभव

क्रम. सं.	मद	विवरण
सामान्य सूचना		
1.	ग्राहक का नाम	
2.	असाइनमेंट के ग्राहक के संपर्क व्यक्ति का नाम तथा संपर्क ब्योरे	
प्रोजेक्ट के ब्योरे		
3.	प्रोजेक्ट का टायटल	
4.	आरंभ की तारीख : माह/ वर्ष समाप्त होने की तारीख : माह/ वर्ष	
5.	प्रोजेक्ट के असाइनमेंट साइज में नियोजित स्टाफ की संख्या	
प्रोजेक्ट का आकार		
6.	प्रोजेक्ट की कुल लागत	
7.	प्रयुक्त तकनीक / उत्पाद	
8.	स्कैन किए गए पृष्ठों की संख्या	
9.	उपलब्ध कराए गए उन्नत फीचर	
10.	अन्य कोई सूचना जो साझा करना चाहते हों	
11. प्रोजेक्ट का व्याख्यात्मक विवरण		
12. दस्तावेजी सबूत एवं आवश्यक विवरण		
कृपया कार्य आदेश प्रमाणपत्रों के सबूत संलग्न करें।		

अनुबंध III

ई-भुगतान करने के लिए बैंक खाते के ब्योरे

संस्था का नाम : कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे

पता (पूरा) : कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, विद्यापीठ मार्ग, पुणे – 411 016.

1.	**खाताधारक का नाम (जैसा बैंक खाते में लिखा हो)**	College of Agricultural Banking, Reserve Bank of India, Pune
2.	**खाता संख्या**	8614038
3.	**खाते का स्वरूप (बचत/ चालू आदि)**	Current
4.	**पैन संख्या**	AAIFR5286M
5.	**एनईएफटी/ आईएफसी कोड**	RBIS0PUPA01 (कोड में 0 से शून्य का आशय है)
6.	**जी एस टी नंबर**	27AAIFR5286M1ZG

प्रदर्शन बैंक गारंटी की ड्राफ्ट प्रोफॉर्मा

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर जमा करने के लिए)

स्थान:_____

तारीख:_____

प्रधानाचार्य
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
भारतीय रिजर्व बैंक
विद्यापीठ मार्ग
पुणे - 411 016.

प्रिय महोदय / महोदया,

कार्य का नाम:

<u>भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में पुराने अभिलेखीय रिकॉर्ड (कागज प्रारूप) का डिजिटायजेशन।</u>

जहाँ तक
भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, विद्यापीठ मार्ग, पुणे – 411016 (बाद में बैंक के रूप में कहा जाता है) ने शर्तों पर कैप्शन किए गए काम के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं (जिसे बाद में "सफल बोलीकर्ता" कहा जाता है) और निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार-

यह निविदाओं के निमंत्रण की शर्तों में से एक है कि सफल बोलीकर्ता को प्रधानाचार्य ,कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे विद्यापीठ मार्ग , पुणे के पास पत्र के साथ अनुबंध राशि के @ 5 प्रतिशत बैंक गारंटी प्रदान करनी होगी। अनुबंध की स्वीकृति पत्र के साथ स्वीकार करेगा |

मेसर्स (सफल बोलीकर्ता का नाम) _____, (जिसे बाद में "सफल बोलीकर्ता" कहा जाता है), जो हमारे ग्राहक / घटक हैं, वे अपने काम के लिए निविदा / बोली प्रस्तुत करने का इरादा रखते हैं और हमें बैंक की गारंटी के संबंध में आरबीआई को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) के राशी रुपये _____ (रुपये _____ केवल) है।

इस गारंटी के साक्षी -

1. हम _____ (अनुसूचित बैंक का नाम) इस प्रकार से सहमत हैं और बैंक को अपने उत्तराधिकारी के साथ सहमत हैं और बताते हैं कि बैंक ने निष्कर्ष पर पहुंचे कि सफलतापूर्वक **बोलीकर्ता** ने अपनी शर्तों के तहत उक्त शर्तों निविदा या उसके उल्लंघन का कारण बना है, जो निष्कर्ष हमारे लिए बाध्यकारी होगा और साथ ही सफल **बोलीकर्ता**; हमें बैंक द्वारा मांग पर, बैंक को बिना रुकावट का भुगतान करना होगा, बैंक की तरफ से ._____ (रुपये _____) या किसी भी कम राशि की मांग की जा सकती है। हमारी गारंटी दी गई शर्तों के तहत सफल **बोलीकर्ता** के दायित्वों के उचित प्रदर्शन के लिए अनुबंध राशि के पांच प्रतिशत के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि, इस तरह की राशि के खिलाफ हमारी देयता, रु। (रुपए _____ केवल) ।

2. हम यह भी स्वीकार करने और पुष्टि करने के लिए सहमत हैं कि उपरोक्त राशि ._____ (रु। _____ केवल) से अधिक नहीं होगी, किसी भी प्रकार के विरोध या विरोध के बिना हमें भुगतान किया जाएगा, केवल बैंक की मांग पर लिखित रूप में नोटिस प्राप्त होने पर कि राशि उनके कारण है और हम आगे के सबूत या सबूत के लिए नहीं पूछेंगे और बैंक से नोटिस हमें निर्णायक और बाध्यकारी होगा और हमारे द्वारा किसी भी संबंध या तरीके से किसी भी तरह से पूछताछ नहीं करेगा। हम उपर्युक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह की अवधि के भीतर बैंक द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का कार्य करते हैं।

3. हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत बैंक को हमारी दायित्व अनुबंध और समझौतों या बैंक और सफल **बोलीकर्ता** के बीच अन्य समझ से स्वतंत्र होगा।

यह गारंटी बैंक द्वारा लिखित पूर्व सहमति के बिना हमारे द्वारा निरस्त नहीं की जाएगी।
हम इसके द्वारा आगे सहमत हैं कि –

i) उक्त समझौते की शर्तों को लागू करने या कथित निविदा और / या नीचे या किसी भी समय देने या किसी भी भोग के दिखाए गए नियमों और शर्तों के अनुपालन में बैंक के किसी भी पक्ष या कमीशन निविदाकर्ता को बैंक या इसके संबंध में किसी भी अन्य मामले से इस गारंटी के तहत किसी भी तरह से और हमारे दायित्व में हमें निर्वहन नहीं किया जाएगा। यह गारंटी केवल अपने दायित्वों के सफल **बोलीकर्ता** और प्रदर्शन में प्रदर्शन द्वारा अवकाशित की जाएगी
ऐसा करने में उनकी असफलता की वजह से, हमें ._____ (रुपए _____ केवल) से अधिक राशि से भुगतान नहीं किया जा सकता है।

ii) इन उत्तरदायित्व के तहत हमारी देयता, ._____ (रुपये _____ केवल) की राशि से अधिक नहीं होगी।

iii) इस समझौते के तहत हमारी देयता, हमारे कथित घटकों / ग्राहकों द्वारा उस काम के लिए निविदाएं या उनके दायित्वों के तहत या हमारे संघटक घटकों के संविधान में विघटन या परिवर्तन से किसी भी दुर्बलता या अनियमितता से प्रभावित नहीं होगी।

iv) यह गारंटी _____ (सफल बोलीकर्ता की प्राप्ति की अंतिम तिथि से छः महीने) तक बनी रहेगी बशर्ते कि यदि बैंक द्वारा वांछित हो, तो यह गारंटी आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत की जाएगी, जैसा कि उन पर संकेत दिया जा सकता है उसी निबंधन और शर्तों के रूप में यहां मौजूद है।

v) इन उत्तरदायित्व के तहत हमारी देयता समाप्त हो जाएगी जब तक कि इन उपहारों को नवीनीकृत नहीं किया जाता है जैसा कि _____ के आधार पर किया गया है या उस दिन जब हमारे कहा घटक अपने दायित्वों का पालन करते हैं, क्योंकि बैंक द्वारा लिखित एक प्रमाण पत्र केवल निर्णायक सबूत है जो भी दिनांक बाद में है। जब तक _____ या किसी भी विस्तारित अवधि के भीतर कोई दावे या सूट या कार्रवाई नहीं की जाती है, इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी अधिकार जब्त किए जाएंगे और हम सभी दायित्वों और दायित्वों से मुक्त हो जाएंगे और उन्हें छोड़ दिया जाएगा।

उनके लिए और उनकी तरफ से---------- (बैंक का नाम)

प्राधिकृत बैंक अधिकारी का हस्ताक्षर

(एनबी: इस गारंटी के लिए राज्य में लागू स्टाम्प ड्यूटी की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया गया है और जिस पर हस्ताक्षर और प्राधिकरण सत्यापित किया जाएगा, उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा)

भाग – II

वाणिज्यिक बोली

भारतीय रिज़र्व बैंक अभिलेखागार, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, विद्यापीठ मार्ग, पुणे - 411 016 में पुराने पुरालेखीय अभिलेखों (कागज़ी रूप में) के डिजिटलीकरण हेतु मुहरबंद निविदाओं का आमंत्रण।

क्र. सं.	सेवा का विवरण	दर रुपए में (अंकों एवं शब्दों में, सभी कर सहित)
1.	प्रति पृष्ठ के डिजिटलीकरण की लागत, पेपर रिकॉर्ड लीगल साइज, ए-4 साइज तथा अन्य किसी साइज का जो कि पोस्ट कार्ड से लेकर ए-0 साइज का हो सकता है **संदर्भ- इस निविदा के पैरा संख्या 3.1.xi: -** प्रति पृष्ठ लागत में डिजीटाइजेशन की लागत और पर्याप्तसंख्या में बैक अप गुणवत्ता वाली पोर्टेबल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क विक्रेता द्वारा आरबीआई अभिलेखागार को वितरित किया जाएगा, हार्ड डिस्क में तीन प्रकार की डिजिटाइज्ड इमेजेस होंगी TIFF, PDF/A, Access quality PDF और डेटा माइग्रेशन आवश्यकता के अनुसार शामिल होनी चाहिए	रु. ..... प्रति पृष्ठ (रु. .....) प्रति पृष्ठ

नोट :उक्त दर सर्वसमावेशी है एवं इसमें जीएसटी के अलावा सभी कर शामिल हैं। निविदा पत्र के अनुसार टेंडर डॉक्यूमेंट में दिए गए सभी प्रकार के स्कैन / डिजिटाइज्ड डेटा के लिए लेबर की लागत, डस्टिंग, पेज नंबरिंग, स्कैनिंग, उपकरण रखरखाव, बाहरी हार्ड डिस्क के 1 सेट आदि कार्यों के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। यह बोली एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी। यदि अपेक्षित हुआ तो इसे बैंक के विवेक पर इसे बढ़ाया जा सकता है।

1. मैं / हम निविदा के सभी अनुबंध एवं शर्तों को स्वीकार करते हैं।

2. मैं कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, विद्यापीठ मार्ग, पुणे के निविदा दस्तावेज में दिए गए अनुबंध एवं शर्तों को मानने एवं इस कार्य के निष्पादन के लिए प्रधानाचार्य, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, विद्यापीठ मार्ग, पुणे द्वारा नामित अधिकृत अधिकारी के अनुदेशों का पालन करने का वचन देता हूं।

अधिकृत प्रतिनिधि/ स्वत्वाधिकारी के हस्ताक्षर

नाम :_____

पदनाम :_____

फर्म / एजेंसी का नाम :_____

टेलीफोन नंबर :_____

ई-मेल :_____

मोबाइल नंबर :_____

स्थान :_____

तारीख :_____

कार्यालय की मुहर

बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच सूची

क्रम सं.	दस्तावेज़	निविदा दस्तावेज में प्रस्तुत पृष्ठ संख्या	टिप्पणी
1.	पंजीकरण का प्रमाणपत्र		
2.	सनदी लेखाकार सीए) का प्रमाणपत्र - 40 लाख रुपये औसत वार्षिक टर्नओवर		
	2016-17		
	2017-18		
	2018-19		
3.	फर्म/एजेंसी की लाभ-हानि लेखे की प्रमाणित प्रति।		
4.	5 साल का अनुभव प्रमाण पत्र - अनुबंध -II में विवरण के साथ ग्राहक के लेटर हेड पर अनुभव प्रमाणपत्र		
5.	2014-2019 के दौरान दस्तावेजों के 30 लाख पृष्ठों को पूरा करने के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य		
6.	CCD / CIS / CMOS / PMT या समकक्ष स्कैनिंग उपकरण होने के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य।		
7.	प्रमुख बोलिकर्ता को अपने पत्रशीर्ष पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर कर काली सूचि में न होने की स्व-घोषणा देनी होगी I		
8.	फोटो आईडी के साथ 20 तकनीकी कर्मचारियों की सूची		
9.	जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र		
10.	बयाना जमा राशि (ईएमडी) ट्रान्सफर विवरण		
11.	पूर्ण निविदा दस्तावेज स्टांप के साथ विधिवत हस्ताक्षरित।		
12.	वाणिज्यिक बोली - भाग - II (अलग लिफाफेमें)		